प्ररूप–क

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, बलिया ,जिला– बेगूसराय
पीठासीन पदाधिकारी – रणधीर कुमार
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)
दिनांक– 11.06.2026
जी. आर. नं0 – 1614/2019
सी.आई.एस. सं0 – 1614/2019
बलिया थाना काण्ड सं0– 165/2019
राज्य बनाम शाह इश्तियाकुर रहमान एवं अन्य

राज्य/सूचक	राकेश कमार मिश्र, पिता–स्व0 शंभुनाथ मिश्र ग्राम– फुलबड़िया 02, पो0 बरौनी थाना फुलबड़िया जिला– बेगूसराय।
सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री फिरोज अहमद, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)
अभियुक्तगण	1. एस0 एम0 फैजुर रहमान, पिता– इकबाबुर रहमान उम्र 56 वर्ष 2. शाह महबुबुर रहमान उर्फ जैनुल, पिता– शाह अब्दुर रहमान उम्र 49 वर्ष 3. शाह इश्तिकार रहमान उर्फ लाल मियां (इनके विरुद्ध विचारण की कार्यवाही समाप्त कर दी गई क्योंकि इनका मृत्यु हो चुका है।) सा0– लखमिनियां, थाना– बलिया, जिला– बेगूसराय।
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

प्ररूप–ख

अपराध की तिथि	अंकित नहीं
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	13.05.2019
आरोप पत्र की समर्पित करने की तिथि	06.12.2019
संज्ञान की तिथि	11.01.2021
आरोप गठन की तिथि	02.01.2023
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	13.04.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	लागू नहीं।
निर्णय की तिथि	11.06.2026
दण्ड सुनाने की तिथि	लागू नहीं।

पीठासीन पदाधिकारी–रणधीर कुमार
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी, बलिया (बेगूसराय)
जी. आर. नं0– 1614/2019
बलिया थाना काण्ड सं0– 165/2019
दिनांक– 11.06.2026

अभियुक्तगण का विवरणी

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्म समर्पण की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	आरोप की धारा	निर्दोष/दोषी	अधिरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजन के लिए विचरण के दौरान निरोध की अवधि
1.	एस0 एम0 फैजुर रहमान	23.10.2019	23.10.2019	420, 467, 471, 468, 120(बी) भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	शाह महबुबुर रहमान उर्फ जैनुल	23.10.2019	23.10.2019	420, 467, 471, 468, 120(बी) भा0 द0 वि0	निर्दोष	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रारूप–ग

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/अदालत के गवाहों की सूची

क. अभियोजन पक्ष :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ख. बचाव पक्ष, यदि कोई हो :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय के गवाह, यदि कोई हो :

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के साक्ष्यों के सूची

क. अभियोजन पक्ष :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
कोई नहीं।	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ख. बचाव पक्ष :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं।	कोई नहीं।

ग. न्यायालय साक्ष्य :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं।	कोई नहीं।

घ. भौतिक साक्ष्य :

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कोई नहीं।	कोई नहीं।

निर्णय

1. अभियुक्तगण **एस0 एम0 फैजुर रहमान, शाह महबुबुर रहमान उर्फ जैनुल,** के विरुद्ध धारा– **420, 467, 471, 468, 120(बी)** भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोपित है और विचारण का सामना कर रहे है। **शाह इश्तिकार रहमान उर्फ लाल मियां** की मृत्यु हो जाने के कारण इनके विरुद्ध विचारण की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है।

2. अभियोजन का सारांश सूचक के फर्द बयान के अनुसार यह है कि अभियुक्तगण ने विवादित भूमि को अपने हिस्सेदारी की जमीन बताकर तथा उसके संबंध में जमाबंदी एवं लगान रसीद प्रदर्शित कर सूचक एवं उसके सहभागी बाबुल कुमार को भूमि क्रय करने हेतु प्रेरित किया। सूचक ने दिनांक 09.05.2018 को कुल 15,00,000/– रुपया के प्रतिफल में उक्त भूमि का क्रय कर अपने नाम से दाखिल–खारिज भी करा लिया। बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त भूमि 1967 में ही अभियुक्तों के पूर्वजों द्वारा अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया था। इस प्रकार अभियुक्तगण ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर एवं मिथ्या जानकारी देकर सूचक के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कराया, जिससे सूचक को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक क्षति हुई। सूचक के लिखित कथन के आधार पर प्रस्तुत वाद बलिया थाना कांड सं0 165/2019 दिनांक 13.05.2019 के रूप में अस्तित्व में आया और अनुसंधानकर्ता ने

अनुसंधान प्रारंभ किया।

3. उक्त प्रकरण में बलिया थाना प्रभारी (SHO), के द्वारा बलिया थाना कांड संख्या 165/2019 के रूप में भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 471, 468, 120(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। अन्वेषण उपरांत अनुसंधानकर्ता (IO) द्वारा अभियुक्तगण एस0 एम0 फैजुर रहमान, शाह महबुबुर रहमान उर्फ जैनुल, शाह इश्तिकार रहमान उर्फ लाल मियां के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 471, 468, 120(बी) के अंतर्गत आरोप–पत्र (Chargesheet) न्यायालय में समर्पित किया गया।

4. उक्त वाद में अभियुक्तगण एस0 एम0 फैजुर रहमान, शाह महबुबुर रहमान उर्फ जैनुल, शाह इश्तिकार रहमान उर्फ लाल मियां के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 471, 468, 120(बी) के अंतर्गत दिनांक 11.01.2021 को संज्ञान लिया गया। दिनांक 02.01.2023 को अभियुक्तगण एस0 एम0 फैजुर रहमान, शाह महबुबुर रहमान उर्फ जैनुल, शाह इश्तिकार रहमान उर्फ लाल मियां के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 471, 468, 120(बी) के अंतर्गत आरोप गठन किया गया। उक्त आरोपों को हिंदी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिस पर अभियुक्तगण ने स्वयं को दोषी स्वीकार नहीं किया तथा विचारण का दावा किया। दिनांक 03.07.2025 को शाह इश्तिकार रहमान उर्फ लाल मियां की मृत्यु हो जाने के कारण इनका नाम इस वाद से विलोपित कर दिया गया था।

5. विद्वान अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने इस आधार पर अभियुक्तगण के दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। वर्तमान वाद दिनांक 13.05.2019 को संस्थित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471, 468, 120(बी) के अंतर्गत अपराधों में दिनांक 11.01.2021 को अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया। दिनांक 02.01.2023 को उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420, 467, 471, 468, 120(बी) के अंतर्गत आरोप गठन किया गया। तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात् दिनांक 19.05.2026 को कई अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् भी अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण उसका साक्ष्य बंद कर दिया गया। दिनांक 07.05.2026 को अभियोजन पक्ष को अंतिम अवसर भी प्रदान किया गया था। न्यायालय द्वारा अपनी समस्त प्रक्रियाएँ अपनाई गईं। अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, किन्तु वह साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। यहाँ तक कि इस मामले का सूचक भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि उसे सम्मन एवं

न्यायालय की अन्य प्रक्रियाओं द्वारा उपस्थित होने को कहा गया था, जिसके कारण अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया गया।

6. प्रारंभ में ही यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान मामला वर्ष 2019 का है तथा 13.04.2023 से यह प्रकरण साक्ष्य के लिए लंबित था, परंतु अब तक अभियोजन पक्ष द्वारा एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि आपराधिक विचारण में अभियोजन पर यह भार होता है कि वह अपने मामले को सिद्ध करे। अतः चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्तगण को दोषी ठहराने का कोई आधार नहीं है और उन्हें **दोषमुक्त** किया जाना उचित है।

आदेश

7. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों के आलोक में, यह न्यायालय इस सुविचारित मत पर पहुँचा है कि अभियुक्तगण दोषमुक्ति के पात्र हैं और तदनुसार उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। यह आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण, जिनका नाम **एस0 एम0 फैजुर रहमान, शाह महबुबुर रहमान उर्फ जैनुल,** को भारतीय दंड संहिता, की धारा– **420, 467, 471, 468, 120(बी)** के अंतर्गत आरोपित अपराधों से **दोषमुक्त** किया जाता है तथा अभियुक्तगण को स्वतंत्र किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा निर्गत किसी भी लंबित प्रक्रिया को वापस लिया जाता है। वाद का निष्पादन किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम) में जमा करें तथा निर्णय को CIS पर Upload कर आवश्यक अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

Sd/-
(रणधीर कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी,
बलिया (बेगूसराय)।
तिथि :– 11.06.2026

(यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।)

Sd/-
(रणधीर कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक दंण्डाधिकारी,
बलिया (बेगूसराय)।
तिथि :– 11.06.2026

Date of Order/Judgement	11.06.2026
Date of reserving order/ Judgement	NA
Uploading Date	22.06.2026
Uploaded by	Gunjan Kumar (Stenographer)